

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-33/ले.टे/अध्ययन/(एफ-1146)/2019/416

दिनांक 08/7/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित अध्ययन करने की स्वीकृति हेतु अनुमति/अनापूर्ति स्वयंपाठी छात्र के रूप में निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1	श्री दिनेश पवार प्रयोगशाला सहायक	राजकीय जसवन्त फिमेल चिकित्सालय जूनी मण्डी (जोधपुर)	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर	सीनियर मैकण्डरी परीक्षा 2019-20 (12 वीं कक्षा विज्ञान वर्ग)
2	श्री यश शर्मा, प्रयोगशाला सहायक	मु0चि0एवं स्वा0 अधिकारी कोटा	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर	बीएससी प्रथम वर्ष 2019-2020
3	श्री मद्रुपसिंह ढाका प्रयोगशाला सहायक	राजकीय चिकित्सालय, नागौरी गेट, जोधपुर	NIOS	उच्च माध्यमिक परीक्षा (12 वीं कक्षा)
4	श्री जगदीश प्रयोगशाला सहायक	राजकीय शहरी चिकित्सालय, जसवन्त कॉलेज (जोधपुर)	NIOS	उच्च माध्यमिक परीक्षा (12 वीं कक्षा)
5	श्री सुरेन्द्र सिंह प्रयोगशाला सहायक	राजकीय चिकित्सालय लक्ष्मीनगर, जोधपुर	NIOS	उच्च माध्यमिक परीक्षा (12 वीं कक्षा)
6	श्री विनय कुमार सतीजा, लैब टेक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर	Jain Vishva Bharati Institute	एम एस.सी. पूर्वाह्न/उत्तरार्ध (योग एवं जीवन विज्ञान) परीक्षा 2018-19
7	श्री सदीप सांखला लैब टेक्नीशियन	अधीक्षक, राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर	CSIR-UGC	JRF & LS (Net) June, 2019
8	सुश्री आकाक्षा भारद्वाज लैब टेक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा  CSIR-UGC	M.SC Botany  जे.आर एफ. परीक्षा

9	सुश्री बीना कुमावत लैब टेक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एव नियंत्रक सलग्न चिकित्सालय जयपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	एम.एस.सी जूलोजी (स्वयंपाठी)
10	श्री अनिल कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन	जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र करौली	राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, अजमेर	12वीं कक्षा विज्ञान वर्ग
11	श्री प्रेम सिंह लैब टेक्नीशियन	प्रा स्वा केन्द्र शिवकर (बाडमेर)	VMOU कोटा	12वीं कक्षा (बायोलोजी) विज्ञान वर्ग
12	श्री अमरीक सिंह राजपुरोहित लैब टेक्नीशियन	राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़(अजमेर)	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (MDSU) अजमेर	B.Sc तृतीय वर्ष 2018-19
13	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा, लैब टेक्नीशियन	चिकित्सा महाविद्यालय एव नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा	कोटा विश्वविद्यालय	बी.ए प्रथम वर्ष (स्वयंपाठी) 2018-19
14	श्री अमित कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन	प्रा0स्वा0केन्द्र ऊटवाल, अलवर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	B.Sc. zoology (V.M.O.U.)
15	श्री सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय लैब टेक्नीशियन	पी0बी0एम0 चिकित्सालय जीकानेर	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
16	श्री रवी कुमार राव लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्यक केन्द्र अंराई (अजमेर)	National Testing Agency	UGC NET 2018
17	श्री दीपक कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी	बीएससी प्रथम वर्ष
18	श्री सिद्धेश्वर जाजडा लैब टेक्नीशियन	सामु स्वा केन्द्र कवास (बाडमेर)	VMOU कोटा	B.Sc.III Year (गणित विषय)

**शर्तें निम्न प्रकार हैं:-**

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- 2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृती/अनुमति बिना कोई सूचना के निस्त की जा सकती है।
- 11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
- 13 इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
- 14 राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

नोट:—उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर

दिनांक 08/07/19

क्रमांक - ई-33/ले.टे./अध्ययन/(एफ-1146)/2019/416  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संवधित प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलग्न चिकित्सालय।
- 2 संवधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 3 संवधित प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 4 संवधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 5 संवधित सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 7 संवधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0, जयपुर

5/7/19